न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-431RAABarmer2025-186RTA223 Madansingh ors Vs Punamsingh etc

01. मदनसिह पुत्र रावतसिह जाति रावणा राजपुत
02. विक्रमसिह पुत्र जैतसिह जाति राजपुत
03. राणसिह पुत्र मोमतसिह जाति राजपुत
निवासी दरबला तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.। अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. पुनमसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुत
2. अभयसिंह पुत्र मोमतसिंह जाति रावणा राजपुत
3. आम्बसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति रावणा राजपुत
4. उत्तमसिंह पुत्र वगताजी जाति रावणा राजपुत
5. कानसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति रावणा राजपुत
6. खेतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावणा राजपुत
7. गीता कवंर पत्नी घेवरसिंह जाति रावणा राजपुत
8. चन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावणा राजपुत
9. जोरसिह पुत्र वगताजी जाति रावणा राजपुत
10. तगुदेवी पत्नी दरगाजी जाति देवासी
11. पंचम कवर पत्नी वगताजी उर्फ वगतावरसिंह जाति रावणा राजपुत
12. भमरा पुत्र केसा जाति रावणा राजपुत
13. भोपा पुत्र रावणा जाति रावणा राजपुत
14. मंगलाराम पुत्र गणेशा जाति कुम्हार
15. मदिया पुत्र रावता जाति रावणा राजपुत
16. मेहरसिंह पुत्र रावतसिंह जाति रावणा राजपुत
17. मेहरसिंह पुत्र भोपसिंह जाति रावणा राजपुत
18. माजिसा सेवा संस्थान कुम्हारो की ढाणी जरिऐ अध्यक्ष बाबुलाल सुथार पुत्र मांगीलाल जाति सुथार निवासी सिवाना
19. मानाराम पुत्र केसाराम जाति रावणा राजपुत
20. स्व. मिश्रा पुत्र गुणेशा जाति कुम्हार के वारिसान
    20.1. हडमान पुत्र मिश्राराम कुम्हार
    20.2. फुलाराम पुत्र मिश्राराम कुम्हार
    20.3. पेमाराम पुत्र मिश्राराम कुम्हार
    20.4. कमला देवी पुत्री मिश्राराम कुम्हार
    20.5. विमला देवी पुत्री मिश्राराम कुम्हार
21. मोहनलाल पुत्र गुणेशा जाति कुम्हार
22. लीला देवी पत्नी मोडाराम जाति देवासी
23. वगता पुत्र विरधा जाति कुम्हार
24. स्व. विजयसिह पुत्र केसरसिह के वारीसानः—
    24.1. तुलसी कंवर पत्नी विजयसिंह
    24.2. छेलसिंह पुत्र विजयसिंह
    24.3. मेहरसिंह पुत्र विजयसिंह
    24.4. जीतुसिंह पुत्र विजयसिंह
    24.5. पदमसिंह पुत्र विजयसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

24.6. दाडम कंवर पुत्री विजयसिंह
24.7. दरिया कंवर पुत्री विजयसिंह
24.8. अनिया कंवर पुत्री विजयसिंह
24.9. खम्मा कंवर पुत्री विजयसिंह
24.10. अम्मा कंवर पुत्री विजयसिंह
25.शैतानसिंह पुत्र रावता जाति रावणा राजपुत
26.शम्भुसिंह पुत्र मोमतसिंह जाति रावणा राजपुत
27.सुरेन्द्रसिंह पुत्र देवीसिंह जाति रावणा राजपुत
28.सांगाराम पुत्र दरगाराम जाति रबारी
29.सावलाराम पुत्र निम्बाराम जाति रबारी
30.हडमतसिंह पुत्र मोमतसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी दरबला तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.।
31.बैंक मेनेजर एस बी आई कृषि विकास शाखा सिवाना
32.राजस्थान राज्य जरिये भुमिधारक तहसीलदार सिवाना। रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2025 सहायक कलक्टर सिवाना राजस्व मूल वाद संख्या 15/2024 पुनमसिंह बनाम अभयसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री कैलाशपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री गणपतसिंह अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री कपिल श्रीमाली, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9, 11 से 17, 20/3, 21, 23 से 24/5, 24/8, 25 से 27 व 30,

नि र्ण य

दिनांक : 08 अप्रैल 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2024 अनवान पुनमसिंह बनाम अभयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 जुलाई 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक/वादी ने अधीनरथ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात मौजा कुम्हारो की ढाणी तहसील सिवाना के खेत खसरा संख्या 141 रकबा 10.9832 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसमें वादी का 997/32568 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 32 का है। वादी द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2025 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत वाद में वाद पत्र एवं जवाब के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभय पक्ष की साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में अपीलांट्स की ओर से कांउटर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा कांउटर क्लेम पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया गया। तहसीलदार सिवाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त बंटवाडा के नियम 18 से 22 का घोर उल्लंघन किया गया एवं केवल वादी की भूमि का ही बंटवाड़ा किया गया। तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 की पालना में अच्छी जमीन व खराब जमीन पक्षकारान् के मध्य बराबर विभाजित करनी थी, लेकिन तहसीलदार द्वारा खसरा संख्या 141 मे अपीलकर्ता के कब्जा काश्त की भूमि वादी के हिस्से में रख दी तथा अनुपजाउ भूमि प्रतिवादीगण/अपीलकर्ता को दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किय बिना तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना नियम विरूद्ध प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किय गये है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 141 में अपीलकर्ता का बेरा खुदा हुआ है, जिससे अपीलकर्ता अपने खेत की सिंचाई करते है। उक्त बेरा को भी वादी/रेस्पोडेन्ट ने राजस्व कर्मचारीयों से मिलावट कर विभाजन प्रस्ताव में अपने हिस्से में रखवा दी। दिनांक 16.01.2025 को वादी/रेस्पो. संख्या एक ने मौके पर आकर अपीलकर्ता के कब्जा की भूमि को खाली करने की धमकियां दी, तब अपीलकर्ता को प्रथम बार जानकारी हुई कि वादी ने छल कर राजस्व कर्मचारी से मिलावट कर गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया व नाला की अनुउपजाउ भूमि अपीलकर्ता को दे दी। तत्पश्चात अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क कर नकले प्राप्त की एवं प्रथम जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2024 अनवान पुनमसिंह बनाम अभयसिंह इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2025 को अपास्त किया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार से उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाकर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देश जारी किये जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्तागण ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान् की सुनवाई उपरांत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सिवाना से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार सिवाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व अपीलांट सहित सभी पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये थे। तहसीलदार द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए पक्षकारान् के आवागमन हेतु मौके रास्ते का प्रावधान रखते हुए तथा सड़क पर सभी को समान अनुपात में भूमि प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट्स द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर हस्तगत अपील विलंब से पेश की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.11.2024 के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार सिवाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व दिनांक 11.11.2024 को पक्षकारान् को नोटिस जारी कर उन्हें सूचित करते हुए दिनांक 22.11.2024 को मौके पर पक्षकारान् की जोत तक आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए तथा सड़क पर सभी पक्षकारान् को समानुपात में भूमि प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट्स जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है, जिसका कोई संतोष जनक कारण नहीं बताया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2024 अनवान पुनमसिंह बनाम अभयसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16 जनवरी 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर